



Neutral Citation No. - 2026:AHC:129075

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

दाण्डिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या - **10154** वर्ष **2026**

मनोज

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : अश्वनी मिश्रा, गौरव तिवारी

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आज दाखिल किया गया अनुपूरक शपथ-पत्र पत्रावली पर लिया जाता है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
3. प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र आवेदक द्वारा मुकद्दमा अपराध संख्या 39 वर्ष 2026, अंतर्गत धारा 8/20 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985, पुलिस थाना- ट्रांस, जिला- आगरा में जमानत पर रिहा किए जाने हेतु योजित किया गया है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक को वर्तमान मामले में मिथ्या रूप से आलिप्त किया गया है। उसका अभिकथित अपराध से कोई लेना-देना नहीं है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता आगे यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि समान रूप से स्थित सह-अभियुक्त, अर्थात्, जाकिर को इस न्यायालय की एक समकक्ष न्यायपीठ द्वारा दाण्डिक प्रकीर्ण जमानत

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रार्थना-पत्र संख्या 10094 वर्ष 2026 में पारित आदेश दिनांक 16.04.2026 के माध्यम से जमानत प्रदान की जा चुकी है। वह आगे यह तर्क देते हैं कि आवेदक के एक मामले के आपराधिक पूर्ववृत्त को अनुपूरक शपथ-पत्र की कंडिका संख्या 3 में भली-भांति स्पष्ट किया गया है। आवेदक 11.02.2026 से कारागार में निरुद्ध है और यदि, उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा एवं विचारण में सहयोग करेगा।

5. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया, तथापि, वह इस तथ्य का खंडन नहीं कर सके कि समान रूप से स्थित सह-अभियुक्त, अर्थात्, जाकिर को इस न्यायालय की एक समकक्ष न्यायपीठ द्वारा जमानत प्रदान की जा चुकी है।
6. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत की गई प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार किया है तथा पत्रावली पर लाई गई सामग्री का अनुशीलन किया है।
7. मामले के संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत, विशेष रूप से इस तथ्य को संज्ञान में लेते हुए कि समान रूप से स्थित सह-अभियुक्त, अर्थात्, जाकिर को इस न्यायालय की एक समकक्ष न्यायपीठ द्वारा जमानत प्रदान की जा चुकी है तथा उक्त आदेश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपास्त या स्थगित नहीं किया गया है, एवं आवेदक 11.02.2026 से कारागार में निरुद्ध है, मैं आवेदक को जमानत पर रिहा करना समुचित समझता हूँ।
8. जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकृत किया जाता है।
9. उपर्युक्त अपराध मामले में संलिप्त आवेदक- मनोज को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक वैयक्तिक बंधपत्र तथा समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व, प्रतिभूओं का सत्यापन किया जाए।
 - (i) आवेदक इस आशय का एक वचन-पत्र दाखिल करेगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित होंगे तो वह साक्ष्य हेतु नियत तिथि पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त के व्यतिक्रम की दशा में, विचारण न्यायालय के लिए यह विकल्प खुला रहेगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने तथा विधि के अनुसार आदेश पारित करे।

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष नियत प्रत्येक तिथि पर, या तो व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना, उसकी अनुपस्थिति की दशा में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 229-क / भारतीय न्याय संहिता की धारा 269 के अंतर्गत कार्यवाही कर सकता है।

(iii) यदि, आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है तथा उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 / भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जा सकती है और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 174-क / भारतीय न्याय संहिता की धारा 209 के अंतर्गत विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही संस्थित करेगा।

(iv) आवेदक (1) मामले के आरंभ होने, (2) आरोप विरचित किए जाने तथा (3) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत कथन लेखबद्ध किए जाने हेतु नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय के मत में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय के लिए ऐसे व्यतिक्रम को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानना तथा उसके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही करना खुला रहेगा।

10. उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में, यह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत प्रदान करने में की गई टिप्पणियां किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को गवाहों के साक्ष्य के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(विवेक कुमार सिंह, न्यायमूर्ति)

24 जून, 2026

राधिका

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।